नागरिक अधिकार पत्र(Citizen Charter)

आपके अधिकार

1. आपकी दी हुई सूचना पर एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 निशुल्क दर्ज की जाती है इसकी एक प्रति आपको निशुल्क प्रदान कर उस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है
2. थाने पर दी गई किसी सूचना/प्रार्थना पत्र की प्रति अवश्य प्राप्त करें ।
3. पुलिस दूसरे थाने की घटना/गलत सूचना कहकर आपकी एफ0आई0आर0 /एन0सी0आ दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है ।
4. आपके द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे की विवेचना समाप्त होने पर परिणाम की लि सूचना आपको निशुल्क प्रदान की जाती है।
5. मृतक के परिवार द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जा सकती है।
6. पुलिस आपको बिना कारण बताये गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
7. गिरफ्तारी की स्थिति में आपको अपना वकील रखने का अधिकार है तथा यह पु का दायित्व है कि वह आपकी गिरफ्तारी की सूचना आपके परिजनों को दे।
8. महिलाओं की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले नहीं की जा सकती (केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में कानून के प्राविधानों के अन्तर्गत ही कार्यवाही जायेगी)
9. बच्चों और महिलाओं को पूछताछ हेतु थाने पर नहीं बुलाया जायेगा ।
10. आपसे पूछताछ करने वाले जनपदीय कार्यकारी अधिकारी वर्दी में होंगे और उनके प्लेट साफ प्रदर्शित होंगे। कोई भी पुलिस अधिकारी पूछताछ के समय अपने पहचान अवश्य साथ रखेंगे ।

नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें

1. आपके पासपोर्ट शस्त्र लाइसेन्स पी.वी.आर., एम.वी.आर., जी.आर., सी.वी.आर., कार्यक्र के आयोजन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र आदि के सत्यापन के लिए आवेदक को थाने अ की आवश्यकता नहीं है।
2. यातायात चालान सम्बन्धी सभी कागजातों का शमन क्षेत्राधिकारी कार्यालय/अपर पुलि अधीक्षक कार्यालय से 07 कार्य दिवस के अन्दर होता है तथा बाद शमन कागजात वहीं से प्राप्त होते हैं। थाना स्तर के कर्मचारी द्वारा थाने पर अनावश्यक रूप आपको बुलाया नहीं जायेगा ।
3. प्रत्येक थाने पर प्रत्येक माह में 02 बार थाना दिवस का आयोजन होता है जि राजस्व विभाग के साथ साथ विद्युत/नगर निगम, जल संस्थान आदि विभागों अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। ऐसे जन समस्यायें जिनका निराकरण पुलिस एवं शासकीय विभागों के समन्वय से ही हो सकता है, उनके सम्बंधित आवेदन थाना पर ही किया जाय ।

जनता की सेवाओं हेतु निर्धारित समयावधि

क्र0	कार्य का विवरण	थाना स्तर पर	अन्य कार्यालय स्तर पर
1.	अपराधों का पंजीकरण	तत्काल	अपेक्षित नहीं
2.	लाइसेन्स शस्त्र की जांच	10 कार्य दिवस (जिलाधिकारी से पुलिस कार्यालय को आवेदन पत्र अग्रसारित होने के बाद 03 कार्य दिवस के अन्दर थानों को प्रेषित किया जायेगा, तदोपरान्त 07 दिन के अन्दर सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा)	• डी0सी0आर0बी स्तर पर- 03 कार्य दिवस • क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर- 03 कार्य दिवस • पुलिस अधीक्षक स्तर पर कुल(प्राप्ति व प्रेषण)- 04 कार्य दिवस (कुल 20 कार्य दिवस थाना सहित) नोट- शस्त्र लाइसेन्स हेतु सामान्यतः स्थानीय अभिसू इकाई से जांच की आवश्यकता नहीं है। वि परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित कि जा सकता है।
3.	पासपोर्ट सत्यापन	07 कार्य दिवस पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र का पार्ट-ए 01 दिन के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा सम्बंधित थाने को प्रेषित किया जायेगा। थाने द्वारा जांच हेतु नियत 07 दिवस में ही स्थानीय अभिसूचना इकाई से भी आख्या प्राप्त की जायेगी। सामान्यतः स्थानीय अभिसूचना इकाई की जांच अभिलेखों के आधार पर की जायेगी। विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मौके पर जाकर जांच की जायेगी।	• नोडल अधिकारी द्वारा पासपोर्ट कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त होने के 01 दिन के अन पार्ट-ए सम्बंधित थाना को तथा पार्ट-बी अभिसूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जाये • अभिसूचना मुख्यालय,लखनऊ 10 दिन के अ सत्यापन का कार्य पूर्ण करेगा • थाना/अभिसूचना के सत्यापन के बाद नोड अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय 04 दिन के अन्दर वापस पासपोर्ट कार्याल को टिप्पणी के साथ भेजा जायेगा । (कुल 15 दिवस)
4.	चरित्र सत्यापन (PVR, MVR, Pr.V.R. etc.)	07 कार्य दिवस	• जिलाधिकारी/अन्य कार्यालय से प्राप्ति को दिन के अन्दर थाने को प्रेषित किया जा • थाने से वापस आने के बाद प्रज्ञान क स्तर पर-03 कार्य दिवस(अभिलेख के अ आख्या। विशेष प्रकरण में पुलिस अधी स्पष्ट आदेश पर ही मौके पर जांच) • थाना/अभिसूचना के सत्यापन के बाद पु अधीक्षक कार्यालय द्वारा 04 दिन के अ वापस सम्बंधित को प्रेषित किया जाये (कुल 15 कार्य दिवस)

5.	चरित्र सत्यापन (ठेकेदारों हेतु)	10 कार्य दिवस	• जिलाधिकारी/अन्य कार्यालय से प्राप्ति के 1 दिन के अन्दर थाने को प्रेषित किया जाये • थाने से वापस आने के बाद प्रधान काय स्तर पर-03 कार्य दिवस • क्षेत्राधिकारी कार्यालय-03 कार्य दिवस • डीसीआरबी- 03 कार्य दिवस • पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा 05 दिन के अन्दर वापस सम्बंधित को प्रेषित किया जा **(कुल 25 कार्य दिवस)**
6.	थाना स्तर पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	07 कार्य दिवस जान का खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में 24 घन्टा	सम्बंधित नहीं है ।
7.	उच्चाधिकारियों से प्राप्त शिकायती पत्र	07 कार्य दिवस जान का खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में 24 घन्टा	1.थाना स्तर पर प्रेषण हेतु 02 कार्य दिवस/ जान खतरा या अन्य विषम परिस्थिति में तत्काल 2.थाने से प्राप्त जांच आख्या के परीक्षण हेतु प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी के स्तर पर 03 कार्य दिवस
8.	अप्राकृतिक मृत्यु/दैनिक आपदा में मृत्यु पर कार्यवाही	तत्काल	तत्काल
9.	न्यायालय से प्राप्त तामीला/अनुपालन आदेश	न्यायालय द्वारा समय निर्धारित होने पर-यथानिर्दिष्ट अन्य मामलों में 05 कार्य दिवस	यथा निर्दिष्ट
10.	खोये/पाये वस्तुओं की सूचना के सम्बन्ध में कार्यवाही	तत्काल	तत्काल
11.	गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कार्यवाही	तत्काल	तत्काल
12.	शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु	एक सप्ताह	डी0सी0आर0बी0 04 कार्य दिवस पुलिस कार्यालय- 04 कार्य दिवस (थाना सहित कुल 15 कार्य दिवस)
13.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति दिया जाना	03 कार्य दिवस	थाने को भेजने में 02 कार्य दिवस वापस आने पर कार्यवाही-03 कार्य दिवस

14.	चालान	24 घन्टे में पर्यवेक्षण अधिकारी को प्रेषित करना	03 कार्य दिवस में न्यायालय में दाखिल करना
15.	अग्निशमन द्वारा एन0ओ0सी0	15 कार्य दिवस (सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु पण्डाल हेतु 02 कार्य दिवस के अन्दर निर्णय लिया जायेगा)	क्षेत्राधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय-05 कार्य दिवस (सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु पण्डाल हेतु 02 कार्य दिवस के अन्दर)
16.	सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन से सम्बंधित अनुमति/अनुशंसा	12 घंटा	03 कार्य दिवस

<u>नोट</u> उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु एक स्तर से दूसरे स्तर को पत्रादि अधिकतम 03 कार्य दिवस में अग्रसारित कर दिए जायं ।

थाने की सेवा प्राप्त करने में असुविधा होती है अथवा अमुक कार्य के निस्तारण में नियत समयावधि से अधिक समय लगता है, तो दूरभाष नं0............... पर सम्पर्क किया जा सकता है ।